"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, 1934)

क्रमांक-5179/वि.स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) जो दिनांक 28 मार्च, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 2 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 59 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 59 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस संहिता की अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये अनुसार धारा 59 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा स्थापित प्राधिकरण अथवा निगमित निकाय द्वारा विकसित भूमि को व्यपवर्तन हेतु पुन: निर्धारण से छूट दी जायेगी."

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची-चार जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-4
[देखिये धारा 59(2)]

स. क्र. (1)	प्राधिकरण का नाम/निगमित निकाय (2)	स. क्र. (3)	योजना का नाम (4)
अ	नया रायपुर विकास प्राधिकरण	1	नया रायपुर
ब	रायपुर विकास प्राधिकरण	1	कमल विहार इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना
स	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	1	अटल विहार योजना."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को शीघ्र संपन्न कराए जाने के लिए तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 में संशोधन आवश्यक है.

2. अत: विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 9 मार्च, 2012

दयालदास बघेल
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 की उपधारा (1), (2) तथा परिशिष्ट-1, अनुसूची-3 के संबंध में सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 59. जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जावे उसी के अनुसार भू-राजस्व में फेरफार (Variation of land revenue)-(1) किसी भूमि पर राजस्व का निर्धारण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उस भूमि के उपयोग को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा.

(क) कृषि या ऐसे प्रक्षेत्र गृह (फार्म हाउस) के प्रयोजन के लिए जो एक एकड़ या अधिक के खाते पर स्थित हो,

(ख) निवास गृहों के लिए स्थलों के रूप में उपयोग,

(ग) मद (क), (ख), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किये गये प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग,

(घ) औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग,

(ङ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) के अर्थ के अंतर्गत खनन पट्टे के अधीन खनन के प्रयोजनों के लिए,

(च) आवासीय कालोनी/परियोजना,

(छ) सार्वजनिक/संस्थागत प्रयोजन,

(ज) चिकित्सा सुविधा केन्द्र.

परन्तु किसी ऐसी भूमि पर, जो उन क्षेत्रों में स्थित है, जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का संख्यांक 16) के अधीन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाए, पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू-राजस्व के निर्धारण की कार्यवाही या संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन निर्धारण के संबंध में अनुसरित की जाने-वाली कोई भी प्रक्रिया, वन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित सम्यक्, रूप से प्राधिकृत किया गया हो, भूमि के उपयोग को अनुज्ञात करते हुए जारी किए गए प्रमाणपत्र पर ही की जाएगी या प्रारंभ की जाएगी, अन्यथा नहीं.

{**स्पष्टीकरण :—** खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए "प्रक्षेत्र गृह" (फार्म हाउस) से अभिप्रेत है ऐसा भवन या सन्निर्माण जो धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित सुधार है और जिसका कुर्सी क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) एक सौ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा और निर्मित क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा.}

उप-धारा (2) जहां कोई भूमि, जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने के हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कर दी जाय, वहां ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उस अवधि का, जिसके कि लिये निर्धारण नियत किया गया हो, अवसान नहीं हुआ है, उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तथा निर्धारित किये जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके कि लिए वह व्यपवर्तित कर दी गई है.

{परन्तु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से पचास प्रतिशत छूट होगी.}

{परन्तु यह और कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि के व्यपवर्तन हेतु पुन: निर्धारण से छूट होगी.}

परिशिष्ट-1

अनुसूची-3
[धारा 262 (3) देखिए]

विधि (कानून) का नाम

(1)	(2)
1.	इन्दौर लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट
2.	इन्दौर जागीरदार मैन्युअल
3.	कवायद जागीरदार मैन्युअल
4.	कवायद मुआफीदारात जोज्वे आराजी रियासत, ग्वालियर
5.	जागीर एण्ड मुआफी रूल्स आफ राजगढ़ स्टेट
6.	धार लैण्ड ऐक्ट
7.	मुआफी रूल्स आफ दी धार स्टेट
8.	इनाम रूल्स आफ दी देवास (सीनियर)
9.	लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट आफ देवास (जूनियर)
10.	मुआफी रूल्स आफ देवास (जूनियर)
11.	कवायद मुआफी रूल्स आफ दि झाबुआ स्टेट
12.	नजराना रूल्स आफ दि बड़वानी स्टेट

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.